न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 216/2022

साधुराम पुत्र श्री लिछमन उर्फ लछमण राम, जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 04, गॉव गणेशगढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्तयारेआम कमला पुत्री श्री साधुराम जाति नायक, निवासी वार्ड नम्वर 04, गॉव गणेशगढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

— — **प्रार्थी**

—:: बनाम ::—

1. श्री हरी सिंह पुत्र श्री लिछमन, जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 04, गॉव गणेशगढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा डूंगरसिंहपुरा, श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

— — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता	प्रार्थी
2.	श्री रामेश्वर लाल	अप्रार्थी संख्या–1

—:: आदेश ::—

दिनांक :– 18.10.2024

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम सर्वप्रथम चक 28 एल.एन.पी (प्रथम), गणेशगढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता 59/49 के मुरब्बा के मुरब्बा नम्बर नम्बर 2 के किला नम्बर 1 (0.127 है0), किला नम्बर 9 (0.126 है0), किला नम्बर 10 ता 12 सालम, किला नम्बर 13 में (0.127 है0), किला नम्बर 17 में (0.126 है0), किला नम्बर 18 ता 24 सालम व किला नम्बर 25 में (0.127 है0) यानि कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 में (0.126 है0), किला नम्बर 9 में (0.127 है0), किला नम्बर 10 ता 12 सालम, किला नम्बर 13 में (0.127 है0), किला नम्बर 17 में (0.126 है0), किला नम्बर 18 ता 24 सालम व किला नम्बर 25 में (0.126 है0) यानि कुल 3.162 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि अर्थात दोनों मुरब्बो की कुल 6.325 नहरी बारानी कृषि भूमि बहिस्सा बराबर संयुक्त रुप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। छाया प्रति जमाबंदी संवत् 2063–2066 सलंग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त वर्णित वादाधीन कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 हरीसिंह के द्वारा सर्वप्रथम अपने हिस्से की कुल 3.162 हैक्टेयर में से 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि को तुलसीदेवी पत्नी चानणराम को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दी गई जिसके उपरांत तुलसीदेवी के नाम जरिये इंतकाल संख्या 298, दिनांकित 28.04.2007 उक्त क्रयशुदा भूमि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस प्रकार अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त भूमि विक्रय की जाती है तो प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के मध्य विवाद उत्पन्न होगा एवं अजनबी क्रेता किला विशेष कब्जा प्राप्ति हेतु जबरन भूमि में प्रवेश करेगा जिससे पक्षकारगण मे आपस मे लडाई झगडा होने का अंदेशा रहेगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी चूंकि प्रार्थी की अपने हक व हिस्से की क्रयशुदा कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर वर्तमान मे फसल काश्त खडी है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि को काफी मेहनत-खर्चे से उसे उपजाऊ बनाया गया है । प्रार्थी के कब्जा काश्त में चक 28 एल एन पी (प्रथम), पटवार हल्का गणेशगढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/71 के मुरब्बा नम्बर 03 की 1.139 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में से किला नम्बर 9 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 व 12 सालम व किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टेयर कुल 0.886 हैक्टेयर चली आ रही है जो की प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रय की गई है, ऐसे मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष मे ता फैसला इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जावे कि वादाधीन कृषि भूमि चक 28 एल.एन.पी (प्रथम), तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/71 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 1.139 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय की गई एवं प्रार्थी द्वारा क्रय शुदा मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 9 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 व 12 सालम व किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टेयर कुल 0.886 हैक्टेयर के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 28 एलएनपी प्रथम गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 59 /49 के मुरब्बा नं. 2 व 3 में कुल 3.163 है0 रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है अन्य तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वर्तमान जमाबन्दी में 1.138 है0 रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 कब्जा काश्त है। यह तथ्य स्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व सहहिस्सेदारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा किलावाईज उक्त रकबा का किया गया था। जिसका इंतकाल दिनांक 13.01.2008 को हो गया था अन्य तथ्य अस्वीकार है। आपसी बंटवारे के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1.138 है० रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चानण राम द्वारा प्रार्थी को रकबा कब बेचान किया गया जिसकी अप्रार्थी संख्या 1 को कोई जानकारी नही है ओर ना ही महेन्द्रपाल द्वारा प्रार्थी को रकबा बेचान कब किया गया इसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नही है। प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में न तो चानण राम को पक्षकार बनाया गया है और ना ही महेन्द्र पाल को पक्षकार बनाया गया है इसलिये आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी कोई रकबा प्रार्थी को बेचान नही किया गया है और ना ही कोई रजिस्टर्ड बैयनामा करवाया गया है प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने रकबा पर कब्जा काश्त है व अपनी कृषि भूमि में आवश्यक सुधार करने हेतु संबंधित बैंक से ऋण प्राप्त किया हुआ है और संबंधित बैंक द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ही अप्रार्थी संख्या 1 को कृषि ऋण प्रदान किया था। जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को कोई रकबा किसी प्रकार से बेचान किया ही नही तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को ऋण चुकता करने का कहना सरासर गलत है और ना ही अप्रार्थी संख्या । द्वारा कोई शपथ पत्र प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 के पास अपने हिस्से की कुल 3.162 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि तुलसी देवी को विक्रय करने के पश्चात शेष कृषि भूमि 1.581 हैक्टेयर रह गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इसके पश्चात शेष बची 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि में से पुन: 0.443 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 हरीसिंह द्वारा चानणराम को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दी गई जिस पर इंतकाल संख्या 311, दिनांकित 06.08.2007 उक्त क्रयशुदा 0.443 हैक्टेयर कृषि भूमि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में चानणराम के नाम हो गया। छाया प्रति इंतकाल संख्या 311, दिनांकित 06.08.2007 सलंग्न प्रार्थना पत्र है। इस प्रकार चानणराम एवं उसकी पत्नी तुलसीदेवी को कुल 2.024 हैक्टेयर संयुक्त खाता संख्या 59/49 में प्राप्त हो गई जिस का अंकन भी उसी अनुरुप राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो दर्ज था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कुल 3.162 हैक्टेयर कृषि भूमि मे से चानणराम को 0.443 हैक्टेयर व उसकी पत्नी तुलसीदेवी को 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि विक्रय करने के पश्चात उसके पास शेष बची 1.138 हैक्टेयर कृषि भूमि मे से 0.506 हैक्टेयर कृषि भूमि दिनांक 11.09.2007 को महेन्द्रपाल को विक्रय कर दी गई जिसका अंकन तत्कालीन क्रेता महेन्द्रपाल द्वारा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही करवाया गया था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के पास शेष कृषि भूमि, तीनों क्रेताओं (तुलसीदेवी–चानणराम–महेन्द्रपाल) को कुल 3.162 हैक्टेयर कृषि भूमि में से क्रमश: 1.581 हैक्टेयर + 0.443 हैक्टेयर + 0.506 हैक्टेयर कुल 2.530 हैक्टेयर, संयुक्त खाता संख्या 59/49 में से भिन्न–भिन्न विक्रय पत्रों के माध्यम से विक्रय किये जाने के पश्चात कुल 0.632 हैक्टेयर रह गई थी। छाया प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांकित 11.09.2007 एवं जमाबंदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। जो कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये विक्रय–पत्र तीनों क्रेताओं क्रमश: तुलसीदेवी, चानणराम, महेन्द्रपाल को विक्रय की गई उसमें से महेन्द्रपाल के द्वारा जो भूमि 0.506 क्रय की गई वह तत्कालीन समय में महेन्द्रपाल के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ना करवाये जाने के कारण वह हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 हरी सिंह के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा जिसके फलस्वरूप जहां अप्रार्थी संख्या 1 के नाम शेष कृषि भूमि 0.632 हैक्टेयर कृषि भूमि रहती थी वहां हरी सिंह के नाम 1.138 हैक्टेयर दर्ज रह गई थी जिसका वह उस समय असल खातेदार नहीं था। इसी दौरान तत्कालीन समय के सहखातेदारों द्वारा यानि प्रार्थी, तुलसीदेवी पत्नी चानणराम, चानणराम एवं अप्रार्थी संख्या 1 हरी सिंह द्वारा एक सहमति बंटवारा, खाता संख्या 59/49 में दर्ज कृषि भूमि का कर लिया गया जिस पर इंतकाल संख्या 325, दिनांक 13.01.2008 को मुरब्बा विशेष के किला विशेष की कृषि भूमि प्रत्येक तत्कालीन खातेदारों के नाम दर्ज हो गई। छाया प्रति इंतकाल संख्या 325 सलंग्न प्रार्थना पत्र है। इस प्रकार उक्त विभाजन से प्रार्थी के पास चक 28 एल.एल.पी (प्रथम), श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 2 की कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, चानणराम एवं उसकी पत्नी तुलसीदेवी को मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 17 ता 25 की कुल 2.024 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1, 9 ता 13 की कुल 1.138 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि प्राप्त हुई जिसका अंकन पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में उनके द्वारा किये गये विभाजन अनुरुप दर्ज हो गया। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उसे प्राप्त मुरब्बा विशेष के किला विशेष की कृषि भूमि जो कि मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 में (0.126 है0), किला नम्बर 09 में (0.127 है0) किला नम्बर 10 ता 12 सालम (0.759 है0) एवं किला नम्बर 13 में (0.127 है0) कुल 1.138 हैक्टेयर में से मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 9 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.126 हैक्टेयर व किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि को जरिये विक्रय–पत्र दिनांकित 13.06.2008 को चानणराम को विक्रय कर दी गई। चानणराम द्वारा उक्त कृषि भूमि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही करवाया गया तथा उक्त कृषि भूमि को जरिये विक्रय–पत्र दिनांक 01.06.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2009 को प्रार्थी साधुराम को विक्रय कर दी गई। प्रार्थी द्वारा इस भूमि के अतिरिक्त, जो कृषि भूमि महेन्द्रपाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से विक्रय–पत्र दिनांकित 11.09.2007 के माध्यम से क्रय की गई थी, उस कृषि भूमि को महेन्द्रपाल से दिनांक 30.04.2009 को जरिये विक्रय–पत्र क्रय कर ली गई एवं कब्जा मुताबिक विभाजन मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 11 व 12 की कुल 0.506 हैक्टेयर का महेन्द्रपाल से प्राप्त कर लिया गया जिसका विवरण तत्कालीन विक्रेता द्वारा विक्रय पत्र में निष्पादन के समय अंकित कर दिया गया था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा जरिये विक्रय–पत्र दिनांकित 30.04.2009 को विक्रेता महेन्द्रपाल से मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 11 व 12 सालम (0.506 है0) एवं विक्रय पत्र दिनांकित 01.06.2009 को विक्रेता चानणराम से मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 9 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.126 हैक्टेयर व किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टेयर कुल 0.380 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि क्रय की गई जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं करवाया गया जिस कारण उक्त मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 0.886 बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वर्तमान खाता संख्या 84/71 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसे प्रार्थी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। खाता संख्या 84/71 एवं विक्रय पत्र दिनांकित 13.06.2008, 30.04.2009 एवं 01.06.2009 सलंग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी द्वारा उक्त खरीदशुदा किला विशेष की कृषि भूमि को काश्त किया जाने लगा तथा उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 हरी सिंह द्वारा बैंक के पास रहन रखी होने के कारण उसका अंकन तत्कालीन खातेदारों द्वारा अपने नाम अंकित नही करवाया जा सका तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ही उक्त विक्रयशुदा कृषि भूमि, जो कि कुल 0.886 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही जिसका वह खातेदार नहीं है । अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में केवल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार है, जो की खाता संख्या 84/71 के किला नम्बर 1 में 0.126 हैक्टेयर व किला नम्बर 10 में 0.127 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि का विधिक खातेदार है। प्रार्थी द्वारा कई दफा खाता संख्या 84/71 की कृषि भूमि को रहन मुक्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को रहन मुक्त नहीं करवाया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक शपथ–पत्र दिनांकित 01.11.2021 को कृषि ऋण सम्बन्धि कथन अंकित कर प्रार्थी को प्रदान किया गया की अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 से कृषि ऋण प्राप्त कर रखा है तथा जो भूमि प्रार्थी को विक्रय की गई है पाक साफ विक्रय की गई है एवं उक्त भूमि पर प्राप्त कृषि ऋण वह स्वंय क्लीयर करेगा । छाया प्रति शपथ–पत्र दिनांकित 01.11.2021 सलंग्न प्रार्थना पत्र है । अप्रार्थी संख्या 1 के मन में अब बदनियति आ गई है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि को उसके नाम अंकन करवाने में विधिक अड़चन पैदा करने की नियत से उक्त कृषि भूमि को रहन मुक्त नहीं करवा रहा है। वादाधीन कृषि भूमि में से प्रार्थी के द्वारा क्रय की गई चक 28 एल. एन. पी (प्रथम), पटवार हल्का गणेशगढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/71 के मुरब्बा नम्बर 03 की 1.139 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में से किला नम्बर 9 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 व 12 सालम व किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टेयर कुल 0.886 हैक्टेयर का कब्जा काश्त वर्तमान समय प्रार्थी के पास चला आ रहा है परन्तु अब अप्रार्थी के मन में बदनियति व्याप्त हो जाने से वह प्रार्थी को लगातार उनकी हिस्से की कब्जा काश्त की कृषि भूमि से बेदखल करने एवं प्रार्थी के हक व हिस्से की क्रयशुदा 0.886 हैक्टेयर कृषि भूमि का बेचान करने पर आमदा है। प्रार्थी का कब्जा काश्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर लगातार चला आ रहा है ऐसे में अगर प्रार्थी को उनकी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में से अप्रार्थी द्वारा जबरन बेदखल किया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

दिया गया। यह झूठे व मनगढत तथ्य केवल प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिये अंकित करवाये गये है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 अस्वीकार हैं जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को कोई रकबा बेचान ही नही किया गया तो विधिक अडचन पैदा करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। जब प्रार्थी का पृथक की गई भूमि पर कब्जा ही नही है तो उसे बेदखल करने का कथन सरासर गलत है। जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को कोई रकबा बेचान ही नही किया गया तो उसमें अपूर्णीय क्षति होने व कृषि भूमि में काफी खर्चे से उपजाऊ बनाने का सवाल पैदा नही होता अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा अंकित अन्य तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जिसको 5 लिखा गया है अस्वीकार है, प्रार्थी के कब्जा में चक 28 एलएनपी प्रथम की मद में वर्णित कृषि भूमि कभी कब्जा काश्त नही रही और ना ही है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पास कब्जा काश्त में हैं। इस मद में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी प्रार्थी को बेचान नही की गई है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उसे प्राप्त मुरब्बा विशेष के किला विशेष की कृषि भूमि जो कि मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 में (0.126 है0), किला नम्बर 09 में (0.127 है0) किला नम्बर 10 ता 12 सालम (0.759 है0) एवं किला नम्बर 13 में (0.127 है0) कुल 1.138 हैक्टेयर में से मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 9 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.126 हैक्टेयर व किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि को जरिये विक्रय–पत्र दिनांकित 13.06.2008 को चानणराम को विक्रय कर दी गई। चानणराम द्वारा उक्त कृषि भूमि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही करवाया गया तथा उक्त कृषि भूमि को जरिये विक्रय–पत्र दिनांक 01.06.2009 को प्रार्थी साधुराम को विक्रय कर दी गई। प्रार्थी द्वारा जरिये विक्रय–पत्र दिनांकित 30.04.2009 को विक्रेता महेन्द्रपाल से मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 11 व 12 सालम (0.506 है0) एवं विक्रय पत्र दिनांकित 01.06.2009 को विक्रेता चानणराम से मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 9 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.126 हैक्टेयर व किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि क्रय की गई जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं करवाया गया जिस कारण उक्त मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 0.886 बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वर्तमान खाता संख्या 84/71 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसे प्रार्थी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण में स्टे कन्फर्म किया जावे। **वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि** चानण राम द्वारा प्रार्थी को रकबा कब बेचान किया गया जिसकी अप्रार्थी संख्या 1 को कोई जानकारी नही है ओर ना ही महेन्द्रपाल द्वारा प्रार्थी को रकबा बेचान कब किया गया इसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नही है। प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में न तो चानण राम को पक्षकार बनाया गया है और ना ही महेन्द्र पाल को पक्षकार बनाया गया है इसलिये आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी कोई रकबा प्रार्थी को बेचान नही किया गया है और ना ही कोई रजिस्टर्ड बैयनामा करवाया गया है प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी नही है। जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को कोई रकबा किसी प्रकार से बेचान किया ही नही तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को ऋण चुकता करने का कहना सरासर गलत है और ना ही अप्रार्थी संख्या । द्वारा कोई शपथ पत्र प्रार्थी को दिया गया। यह झूठे व मनगढत तथ्य केवल प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिये अंकित करवाये गये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 11.09.2007,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

30.04.2009, बैयनामा दिनांक 13.06.2008 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बैयनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का बैचान हुआ है। यदि वादग्रस्त आराजी का बैचान अथवा अन्तरण अन्य को होता है तो वाद विवाद में बहुलता होगी व हस्तगत वाद के निर्णय में भी समय लगेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। भूमि का आगे बैचान अथवा अन्तरण न हो इसके लिए प्रकरण में स्थगन जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 22.12.2022 को मूलवाद के निर्णय तक यथाकर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 212/2022 बअनवान साधुराम बनाम हरी सिंह रहे।

आदेश आज दिनांक 18.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर